

आदेश-पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

तारीख..... तक

आदेश पत्रक

जिला:- पटना सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं०..... 181..... सन् 2013-14

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित।												
12-04-13	<p>श्री <u>रामचन्द्र प्रसाद सिंहा</u> <u>ग्राम-सुपुल पो०-सुपुल</u> <u>थाना-सुपुल जिला-पटना केवाला नं० 15073 दिनांक 07-08-09</u> के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा</th> <th>एराजी</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>सुपुल</u></td> <td><u>54</u></td> <td><u>40</u></td> <td><u>671</u></td> <td><u>1311 00/1000</u></td> <td><u>1.00</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दे, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक <u>24-04-13</u> को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p> <p>नादिस का नामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगो ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की <u>जाती</u> दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	<u>सुपुल</u>	<u>54</u>	<u>40</u>	<u>671</u>	<u>1311 00/1000</u>	<u>1.00</u>	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
<u>सुपुल</u>	<u>54</u>	<u>40</u>	<u>671</u>	<u>1311 00/1000</u>	<u>1.00</u>									

अंचल अधिकारी
दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर